बिहार सरकार
उद्योग विभाग

संकल्प

विषयः– औद्योगिक इकाइयों को नई औद्योगिक नीति, 2011 के अन्तर्गत देय कैपटिव पावर प्लांट/डीजल जेनरेटिंग सेट/गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की स्थापना हेतु अनुदान के संबंध में निर्गत संकल्प ज्ञापांक 2438, दिनांक 15.07.2011 में संशोधन।

1– उक्त संकल्प ज्ञापांक 2438 दिनांक 15.07.2011 की कंडिका– 2(I) की उप कंडिका (ग) के बाद एक उप कंडिका– (घ) निम्न प्रकार जोड़ी जाएगीः–

" (घ) कैपटिव पावर जेनरेशन/डी0जी0 सेट के प्लांट एवं मशीनरी में यू0पी0एस0, इनभर्टर तथा स्टेबलाईजर भी शामिल होंगे।"

यह औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार, 2011 में संशोधन से संबंधित संकल्प सं0–09, दिनांक–05.01.15 के निर्गत होने की तिथि 05.01.2015 के प्रभाव से उपर्युक्त संशोधन प्रभावी है।

2–उक्त संकल्प ज्ञापांक 2438 दिनांक 15.07.2011 की कंडिका– 2 की उप कंडिका– (VII) निम्न लिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः–

" (VII) अनुदान की अधिकतम सीमा एस0पी0भी0 कंपनी के लिए 50 (पचास) करोड़ रू0 एवं अन्य कंपनी/इकाई के लिए 40(चालीस) करोड़ रू0 विनिश्चित होंगी।"

यह औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार, 2011 में संशोधन से संबंधित संकल्प सं0–09, दिनांक–05.01.15 के निर्गत होने की तिथि 05.01.2015 के प्रभाव से उपर्युक्त संशोधन प्रभावी है।

3–उक्त संकल्प ज्ञापांक 2438 दिनांक 15.07.2011 की कंडिका– 3 के अन्त में निम्नलिखित अंश जोड़ा जाएगाः–

"वैसी इकाइयाँ, जो विद्युत कनेक्शन लिए वगैर डी0जी0 सेट/कैपटिव पावर जेनरेशन से उत्पादन करती हैं, उनके लोड अवधारण के लिए एक समिति गठित की जाएगी। जिसमें निदेशक, तकनीकी विकास द्वारा मनोनित उद्योग सेवा संवर्ग के अधिकारी(न्यूनतम ग्रेड पे रू0 7600), उद्योग मित्र द्वारा इम्पैनल्ड इलेक्ट्रीकल इन्जीनियर (बी0ई0/बी0टेक0) एवं ऊर्जा विभाग के क्षेत्रीय इलेक्ट्रीकल इन्जीनियर शामिल होंगे। समिति के गठन निदेशक, तकनीकी विकास द्वारा किया जाएगा। समिति से अनुशंसा प्राप्त होने के उपरान्त निदेशक, तकनीकी विकास द्वारा निर्गत लोड निर्धारण के संबंध में पत्र की प्रति संलग्न करना होगा।"

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार, 2011 में संशोधन से संबंधित संकल्प सं0–850, दिनांक–21.05.15 के आलोक में यह समिति औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार–2011 के प्रभावी तिथि 01.07.2011 से विद्युत कनेक्शन लिए वगैर डी0जी0 सेट/कैपटिव पावर जेनरेशन से उत्पादन करने वाली औद्योगिक इकाइयों का भी लोड अवधारण करेगी।

4– उक्त संकल्प ज्ञापांक 2438 दिनांक 15.07.2011 इस हद तक संशोधित होगा एवं संकल्प की अन्य कंडिकाएँ यथावत रहेंगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

11/06/2015

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-987/पटना, दिनांक : 11.06.15
सं0सं0– 4 तक0/औ0प्रो0नीति 2011/25/2015

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सॉफ्ट कॉपी(सी0डी0 में) तथा दो हार्ड कॉपी के साथ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय। साथ ही उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय।

ह0 11/06
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-987/पटना, दिनांक : 11.06.15
सं0सं0– 4 तक0/औ0प्रो0नीति 2011/25/2015

प्रतिलिपि : सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र इन्दिरा भवन, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त समिति हेतु एक सदस्य कृपया मनोनीत किया जाय।

ह0 11/06
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-987/पटना, दिनांक : 11.06.15
सं0सं0– 4 तक0/औ0प्रो0नीति 2011/25/2015

प्रतिलिपि : सभी विभागाध्यक्ष/वाणिज्य–कर आयुक्त, वाणिज्य–कर विभाग/ प्रबंध निदेशक, उद्योग विभाग के सभी निगम/बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार/निदेशक, उद्योग/निदेशक, तकनीकी विकास/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रमोद्योग बोर्ड, पटना/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, पटना/अध्यक्ष, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लि0, पटना/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी उप विकास आयुक्त/ महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/ स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/ निदेशक, एम.एस.एम.ई.डी.आई., पाटलीपुत्रा कॉलोनी, पटना/मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 11/06
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:– 987 /पटना, दिनांक– 11.06.15
सं0सं0– 4 तक0/औ0प्रो0नीति 2011/25/2015

प्रतिलिपि:– आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह0 11/06/2015
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।